17

छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बंधन) आदेश 2009

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 06 अगस्त, 2009

एफ 9-27/खाद्य/2008/29 : चूँकि राज्य सरकार की यह राय है कि अनुसूचित वस्तुओं के उचित मूल्य पर साम्यपूर्ण वितरण तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है,

अतएव भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अधिसूचना जो का.आ. 1373 (अ) दिनांक 29.08.2006, का.आ. 906 (अ) दिनांक 02.04.2009, का.आ. 823 (अ) दिनांक 07.04.2008 तथा का.आ. 905 (अ) दिनांक 02.04.2009 के अधीन प्रकाशित की गई है, के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा केंद्र सरकार की पूर्व सहमति से, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

(एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश, 2009 है।

(दो) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है।

(तीन) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित शेष प्रभावशील होंगे।★

2. परिभाषाएँ

इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) 'कमीशन अभिकर्ता' से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, कमीशन पर विक्रय के लिए क्रय, विक्रय तथा संग्रहण का कारबार करता हो।

(ख) 'प्रसंस्करणकर्ता' से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित वस्तुओं की मिलिंग या प्रसंस्करण का कारबार करता हो।

★★(ग) 'व्यापारी' से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति, भागीदारी फर्म, संस्था या कोई ऐसा पंजीकृत

★ छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 6 अगस्त 2009 को प्रकाशित।

★★ अधिसूचना दिनांक 19 अगस्त 2009 द्वारा प्रतिस्थापित तथा छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 19.08.2009 को प्रकाशित।

(अनुज्ञापन
देश 2009

के अनुसूचित वस्तुओं के
ने के लिए ऐसा करना

जनिक वितरण मंत्रालय
क 29.08.2006, का.आ.
तथा का.आ. 905 (अ)
श्यक वस्तु अधिनियम,
ते हुए तथा केंद्र सरकार
है, अर्थात -

पारी (अनुज्ञापन तथा

कार द्वारा समय-समय

य व्यक्ति की ओर से,
रता हो।
स्तुओं की मिलिंग या

या कोई ऐसा पंजीकृत

में दिनांक 19.08.2009 को

निकाय जो किसी या समस्त अनुसूचित वस्तुओं के क्रय, विक्रय या विक्रय हेतु स्टॉक (इसमें उसके द्वारा वैयक्तिक खेती द्वारा उत्पादित वस्तुओं का स्टॉक सम्मिलित नहीं है) का व्यापार करता हो या करने का आशय रखता हो, जिसमें कमीशन अभिकर्ता का व्यापार और प्रसंस्करणकर्ता भी सम्मिलित है -

(एक) खाद्य तेल की दशा में, जिसमें उद्जनित वनस्पति तेल शामिल है, एक समय में 200 क्विंटल से अधिक मात्रा का स्टॉक रखे।

(दो) खाद्य तेल के बीज की दशा में, एक समय में 500 क्विंटल से अधिक मात्रा का स्टॉक रखे।

(तीन) चीनी की दशा में एक समय में 100 क्विंटल से अधिक मात्रा में स्टाक रखे।

(चार) खाद्य तेल, खाद्य तेल के बीज और चीनी को छोड़कर अन्य अनुसूचित वस्तुओं की दशा में -

(क) केवल एक अनुसूचित वस्तु के किसी भी एक समय में 1000 (एक हजार) क्विंटल से अधिक मात्रा का स्टाक रखे।

(ख) दो या अधिक अनुसूचित वस्तुओं के किसी भी एक समय में 2000 (दो हजार) क्विंटल से अधिक मात्रा का स्टॉक रखे।

(घ) **'प्ररूप'** से अभिप्रेत है, इस आदेश से संलग्न प्ररूप।

(ङ) **'अनुज्ञप्ति'** से अभिप्रेत है, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इस आदेश के अधीन दी गयी अनुज्ञप्ति।

(च) **'अनुज्ञप्तिधारी'** से अभिप्रेत है, ऐसा एक व्यापारी जिसके पास इस आदेश के अधीन कोई विधिमान्य अनुज्ञप्ति हो।

(छ) **'अनुज्ञापन प्राधिकारी'** से अभिप्रेत है, जिले का कलेक्टर जिसकी उस क्षेत्र पर अधिकारिता हो, जिसमें व्यापारी अपना कारोबार करता हो।

(ज) **'मंडी'** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ कृषि उप मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) में विनिर्दिष्ट मंडी।

(झ) **'अनुसूचित वस्तुऐं'** से अभिप्रेत है इस आदेश की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट वस्तुएं।

(ञ) **'राज्य सरकार'** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार।

3. अनुसूचित वस्तुओं के व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति

(एक) कोई भी व्यापारी इस आदेश के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना व्यापारी के रूप में कारोबार नहीं करेगा।

(दो) प्रत्येक व्यापारी द्वारा कारोबार के प्रत्येक स्थान के लिए यथास्थिति पृथक-पृथक अनुज्ञप्ति प्राप्त की जाएगी।

(तीन) कोई भी व्यक्ति कारोबार के स्थान के लिए एक से अधिक अनुज्ञप्ति धारण नहीं करेगा।

4. अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना तथा नवीनीकरण किया जाना।

(1) **अनुज्ञप्ति की स्वीकृति** - प्रत्येक आवेदक को प्ररूप ''क'' में एक आवेदक सम्यक् रूप से भरकर एवं सभी प्रकार से पूर्ण कर अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर प्ररूप ''ख'' में अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी।

परन्तु ऐसे मामले में जहाँ अनुज्ञापन प्राधिकारी का मत है कि आवेदक अनुज्ञप्ति प्राप्ति के लिए पात्र नहीं है, तो वह आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर लिखित में एक सकारण आदेश पारित करेगा तथा आवेदन प्राप्ति के 40 दिवस के भीतर आवेदक को संसूचित किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने के 40 दिवस के भीतर आवेदक को नामंजूर किए जाने की संसूचना प्राप्त नहीं होती है तो -

(क) यदि आवेदक अनुज्ञापन प्राधिकारी को उपरोक्त अभिकथित समय-सीमा की समाप्ति की अभिस्वीकृति प्राप्त करते हुए लिखित में स्मरण कराता है। यदि आवेदन नामंजूर किए जाने की कोई संसूचना प्राप्त नहीं होती है तो अनुज्ञप्ति मंजूर की गई समझी जाएगी :

(ख) आवेदक इस बात की सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को देने के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी की हैसियत से अपना कारोबार आरंभ कर सकेगा।

(ग) उपरोक्त धारा के अधीन अनुज्ञप्तिधारी प्ररूप ''ख'' में अधिकथित समस्त निर्बन्धनों तथा शर्तों के लिए बाध्य होगा।

(2) **अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण :**

(क) अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति समाप्ति से पूर्व किसी भी समय अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकेगा, किन्तु यह आवेदन अनुज्ञप्ति समाप्ति के वर्ष की 1 नवम्बर से पूर्व नहीं होगा। विलंबित आवेदन उपखण्ड (5) में विहित विलंब फीस का संदाय कर किया जा सकेगा।

(ख) सामान्यतः आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति नवीनीकृत कर दी जाएगी। यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास अनुज्ञप्ति नवीनीकरण करने से इंकार करने हेतु पर्याप्त कारण है तो वह नवीनीकरण के आवेदन की प्राप्ति के 20 दिवस के भीतर लिखित में सकारण आदेश पारित करेगा तथा आवेदन करने के 30 दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी को लिखित में संसूचित करेगा, ऐसा न करने की स्थिति में अनुज्ञप्ति नवीनीकृत समझी जाएगी।

(ग) यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु अनुरोध करता है तो उसे ऐसा अनुरोध करने की तारीख से नवीनीकरण हेतु दिए गए आवेदन पर नवीनीकरण करने या नवीनीकरण के आवेदन के नामंजूर किए जाने तक अपना व्यवसाय करने का अधिकार होगा मानो कि उसके पास विधिमान्य अनुज्ञप्ति है।

(3) अनुज्ञप्ति, प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य होगी।

(4) अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति फीस का संदाय करने पर जारी की जाएगी।

(5) अनुज्ञप्ति फीस (जिसमें नवीनीकरण फीस, द्वितीय प्रति एवं विलंब फीस आदि सम्मिलित है) तथा प्रतिभूति निक्षेप, राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित की जाएगी।

5. अधिकतम स्टॉक सीमा

कोई भी व्यापारी किसी भी समय निम्नलिखित से अधिक स्टॉक नहीं रखेगा :

(क) अनुसूचित वस्तुओं के मामले में ऐसी अधिकतम स्टॉक सीमा जो इस आदेश की अनुसूची-दो में निर्धारित की गई है।

(ख) राज्य द्वारा अनुसूची-दो में निर्धारित अधिक स्टॉक सीमा को राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकता है।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रसंस्करणकर्ता के साथ-साथ अनुसूचित वस्तु/वस्तुओं का अन्य कारोबार भी किया जाता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, प्रसंस्करण कारोबार हेतु उपधारा (क) के अधीन अधिकथित स्टॉक सीमा की पृथक-पृथक अनुमति देगा।

6. अनुज्ञप्ति की कालावधि और फीस

(एक) इस आदेश के अधीन मंजूर की गयी या नवीनीकृत कोई अनुज्ञप्ति, उनके दिए जाने या नवीनीकृत किए जाने के प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए विधिमान्य होगी।

(दो) कोई अनुज्ञप्तिधारी जो अपनी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कराना चाहता है, वह अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से एक मास पूर्व 30 नवम्बर तक आवेदन करेगा।

(तीन) अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए उपरोक्त खंड (दो) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं किया जायेगा :

परंतु यदि ऐसा आवेदन पत्र वर्ष के 31 दिसम्बर के पूर्व किया जाता है और अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक पर्याप्त कारण से अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से पूर्व अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सका है तो वह 1000 रुपये के विलंब फीस का भुगतान करने पर आवेदन पत्र को स्वीकार कर सकेगा और अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कर सकेगा।

(चार) प्ररूप ''क'' में आवेदन पत्र के साथ नीचे विनिर्दिष्ट फीस देय होगी -

अनुज्ञप्ति फीस	नवीनीकरण फीस	अमानत राशि
रु. 2500	रु. 1250	रु. 5000

(पाँच) अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति खो जाने, नष्ट हो जाने या विरूपित हो जाने का प्रमाण स्पष्टीकारक शपथ पत्र के सहित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन पत्र रुपये 1000 के भुगतान के साथ प्रस्तुत किए जाने पर जारी की जा सकेगी।

7. अनुज्ञप्ति अस्वीकृत करने की शक्ति

अनुज्ञापन प्राधिकारी संबंधित व्यक्ति को अपना मामला पेश करने का अवसर देने के पश्चात और अभिलिखित कारणों से, अनुज्ञप्ति देने या उसका नवीनीकरण करना अस्वीकृत कर सकेगा।

8. अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन

(एक) कोई अनुज्ञप्तिधारी या उसका अभिकर्ता या सेवक या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति, इस आदेश के किन्हीं उपबंधों या अनुज्ञप्ति के किसी भी निर्बंधनों या शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा।

(दो) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी को समाधान हो जाए कि किसी अनुज्ञप्तिधारी ने या उसके अभिकर्ता या सेवक या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने इस आदेश के किसी उपबंध या अनुज्ञप्ति के किसी भी निर्बन्धनों या शर्तों का उल्लंघन किया है तो वह ऐसी किसी अन्य कार्यवाही पर, जो उसके विरुद्ध की जा सकती है प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लिखित आदेश द्वारा या तो उसकी अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाली उन अनुसूचित वस्तुओं के संबंध में, जिनके बारे में यह पाया जाए कि उपबंधों का उल्लंघन किया गया है, उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द या निलंबित कर सकेगा।

परंतु इस उपखंड के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी को, यथास्थिति, प्रस्तावित रद्दकरण या निलंबन के विरुद्ध अपने मामले का कथन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए।

(तीन) राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए अनुज्ञापन प्राधिकारी उपखंड (दो) के अधीन कार्यवाही लंबित रहने या उसको ध्यान में रखते हुए अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकेगा।

(चार) अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिए किसी अनुज्ञप्ति को रद्द करना विधिपूर्ण होगा यदि अनुसूचित वस्तुओं के संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को दोषसिद्ध ठहराया गया हो।

(पाँच) उपखंड (दो) का परंतुक उस स्थिति में लागू होगा जबकि कोई अनुज्ञप्ति खंड (चार) के अधीन रद्द कर दी गयी हो।

(छः) उपखंड (चार) के अधीन रद्द की गयी अनुज्ञप्ति वहाँ प्रत्यावर्तित की जायेगी जहाँ ऐसी दोषसिद्धि को यथास्थिति सक्षम अधिकारिता के किसी न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया जाये।

9. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण

(एक) खंड 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन किया है और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण अपेक्षित है तो वह अनुज्ञप्तिधारी को समपहरण के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा, उसके द्वारा जमा की गयी संपूर्ण प्रतिभूति या उसके किसी भाग का समपहरण कर सकेगा और आदेश की एक प्रति अनुज्ञप्तिधारी को भेजेगा :

परंतु जहाँ प्रतिभूति का समपहरण कर लिया गया है वहाँ अनुज्ञप्तिधारी समपहृत प्रतिभूति की धनराशि जमा करने के पश्चात् ही अपना कारोबार कर सकेगा।

(दो) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति के अधीन समस्त बाध्यताओं का सम्यक् अनुपालन किए जाने पर प्रतिभूति की रकम या उसका ऐसा भाग, जिसका समपहरण न किया गया हो, अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी को वापस कर दिया जाएगा।

10. अपील

(एक) अनुज्ञापन प्राधिकारी के ऐसे किसी आदेश से, जिसमें अनुज्ञप्ति देने, पुनः जारी करने या नवीकरण करने से इंकार किया गया हो, या किसी अनुज्ञप्ति को रद्द या निलंबित किया गया हो या इस आदेश के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा की गई प्रतिभूति को समपहृत किया गया हो, व्यथित कोई व्यक्ति ऐसा आदेश उसे प्राप्त होने की तारीख से 30 दिवस के भीतर संभाग के आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त, राजस्व को अपील कर सकेगा।

(दो) इस खंड के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि व्यथित व्यक्ति को अपना मामला अभिकथन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

11. पुनरीक्षण

राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर, संभाग आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा पारित किए गए किसी आदेश की वैधता या उसके औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जैसा कि उचित समझे :

परंतु उसे किसी आदेश में तब तक परिवर्तित नहीं करेगी या उसे तब तक नहीं उलटेगा जब तक कि प्रस्तावित आदेश से प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।

परंतु यह और भी कि ऐसा कोई आवेदन पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जावेगा, जब तक कि वह उस आदेश की, जिसके विरुद्ध आवेदन पत्र दिया जा रहा हो, आवेदक को संसूचना की तारीख से 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत न कर दिया जाए।

12. आदेश का पुनर्विलोकन

(1) राज्य सरकार आयुक्त या अपर आयुक्त, अनुज्ञापन प्राधिकारी या तो उनकी /उसकी स्वप्रेरणा से अथवा हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर उनके/उसके द्वारा उनके/उसके पद के पूर्वाधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा तथा उसके संदर्भ में कोई ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे :

परंतु -

(क) यदि आयुक्त, अपर आयुक्त या अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी ऐसे आदेश का, जो उसके द्वारा पारित न किया गया हो, पुनर्विलोकन किया जाना आवश्यक समझता है तो वह राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त करेगा या ऐसे प्राधिकारी, की लिखित मंजूरी प्राप्त करेगा जिसका कि वह ठीक अधीनस्थ हो।

(ख) किसी भी आदेश में हेरफेर या उसे पलटा नहीं जावेगा जब तक कि संबंधित पक्षकार को उपस्थित होने तथा ऐसे आदेश के पक्ष में सुनवाई के लिए सूचना जारी न कर दी जाए।

(ग) ऐसे किसी भी आदेश का, जिसके विरुद्ध अपील की गई है या जो पुनरीक्षण कार्यवाही की विषय-वस्तु है तब तक पुनर्विलोकन नहीं किया जावेगा जब तक ऐसी अपील या कार्यवाही लंबित है।

(घ) ऐसे आदेश के पुनर्विलोकन हेतु कोई भी आवेदन-पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जावेगा जब तक कि आदेश पारित होने के दिनांक से 90 दिन के भीतर वह प्रस्तुत न कर दिया जाए।

(2) ऐसे किसी भी आदेश का जिस पर अपील या पुनरीक्षण में कार्यवाही की गई है, पुनर्विलोकन, अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी के अधीनस्थ अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा।

13. प्रवेश, तलाशी तथा अभिग्रहण आदि की शक्तियाँ

(एक) अनुज्ञापन प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसी सहायता, यदि कोई हो, जैसी कि वह उचित समझे के साथ -

(क) किसी स्थान, परिसर, यान या जलयान के जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश का या उसके अंतर्गत जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, स्वामी, अधिभोगी अथवा अन्य किसी भारसाधक व्यक्ति से, ऐसे उल्लंघन से संबंधित संव्यवहारों को दर्शाने वाली पुस्तकें, लेखे या अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(ख) किसी स्थान, परिसर, यान या जलयान में जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने

का कारण हो कि इस आदेश के किन्हीं उपबंधों या उनके अधीन जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, प्रवेश कर सकेगा, उसका निरीक्षण कर सकेगा या उसे खोल सकेगा तथा उसकी तलाशी ले सकेगा।

(ग) ऐसे उल्लंघनों से संबंधित संव्यवहारों को दर्शाने वाले रजिस्टर बिल बुक या किसी दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकेगा या अभिग्रहित करवा सकेगा और उसके आवश्यक उद्धरण या उनकी प्रतिलिपियाँ लेने के बाद जिस व्यक्ति से वे अभिग्रहित किए गए थे, उसे वापिस कर देगा।

(घ) अनुसूचित वस्तुओं के स्टॉक को तथा इस आदेश के उपबंधों के या उसके अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन में उक्त अनुसूचित वस्तुओं को ले जाने के लिए उपयोग में लाए गए पशुओं, यानों, जलयानों या अन्य वाहनों की तलाशी ले सकेगा। उनका अभिग्रहण कर सकेगा और उन्हें हटा सकेगा और तत्पश्चात् ऐसे समस्त उपाय करेगा या करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जो इस प्रकार अभिग्रहण किए गए अनुसूचित वस्तुओं के स्टॉक तथा पशुओं, यानों, जलयानों या अन्य वाहनों का न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना सुनिश्चित करने के लिए तथा इस प्रकार पेश किए जाने तक उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आवश्यक हों।

(दो) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के उपबंध जो तलाशी तथा अभिग्रहण से संबंधित है यथासंभव इस खंड के अधीन तलाशियों तथा अभिग्रहण को लागू होंगे।

14. छूट

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रयोजन हेतु भारतीय खाद्य निगम एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन तथा इस कार्य में संलग्न अन्य एजेंसियों द्वारा धारित आवश्यक वस्तु के स्टॉक हेतु इस आदेश के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(2) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग को इंस आदेश के समस्त या किन्हीं भी उपबंधों से छूट दे सकेगी और किसी भी समय ऐसी छूट को निलंबित या निरस्त कर सकेगी।

*15. इस आदेश की वैधता

यह आदेश, दाल हेतु क्र. एस.ओ. 1373 (ई) दिनांक 29 अगस्त, 2006, क्र. एस.ओ. 906 (ई) दिनांक 02 अप्रैल, 2009 तथा खाद्य तेल, खाद्य तेल बीज तथा चावल हेतु क्र. एस.ओ. 823 (ई) दिनांक 7 अप्रैल, 2008, क्र. एस.ओ. 905 (ई) दिनांक 02 अप्रैल 2009 तथा चीनी हेतु क्र. एस.ओ. 1621 (ई) दिनांक 02 जुलाई, 2009 के अधीन जारी केन्द्रीय आदेश की वैधता के साथ संयुक्त रूप से, प्रवर्तन में रहेगी।

---

* छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-9-27/खाद्य/2008/29 द्वारा 'खण्ड -15' प्रतिस्थापित तथा छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त 2009 को पृष्ठ 468 पर प्रकाशित।

अनुसूची-एक★
अनुसूचित वस्तुएँ

(खंड 2 (झ) देखिए)

1. ''दाल'' से अभिप्रेत है उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, मटर और चना, साबुत या दला हुआ या छिलका रहित।

2. चावल

3. ''खाद्य तेल'' जिसमें समस्त प्रकार के खाद्य तेल सम्मिलित है।

4. ''तेल के बीज'', ऐसे बीज जिनसे खाद्य तेल तैयार किया जाता है किन्तु इसमें नारियल का तेल सम्मिलित नहीं है।

5. चीनी से अभिप्रेत है, किसी भी प्रकार की चीनी जिसमें 90 प्रतिशत इक्षु शर्करा (सुक्रोज) हो।

अनुसूची-दो★★
(खंड 5 (क) देखिए)

स.क्र.	अनुसूचित वस्तु	नगर की श्रेणी	व्यापारी (क्विंटल)	कमीशन अभिकर्ता (क्विंटल)	प्रसंस्करणकर्ता
1	2	3	4	5	6
1.	दाल	समस्त	1000	1000	कोई सीमा नहीं
2.	चावल	समस्त	2000	2000	कोई सीमा नहीं
3.	खाद्य तेल के बीज (समस्त प्रकार)	समस्त	1000	1000	कोई सीमा नहीं
4.	खाद्य तेल (समस्त प्रकार)	समस्त	500	500	कोई सीमा नहीं
5.	चीनी	समस्त	2000	2000	कोई सीमा नहीं

★ छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-9-27/खाद्य/2008/29 द्वारा 'अनुसूची-एक' प्रतिस्थापित तथा छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त 2009 को पृष्ठ 468 पर प्रकाशित।

★★ छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-9-27/खाद्य/2008/29 द्वारा 'अनुसूची-दो' प्रतिस्थापित तथा छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त 2009 को पृष्ठ 468 पर प्रकाशित।

प्रारूप ''क''
(खण्ड 4 (1) देखिए)

आवेदक का नाम ....

आवेदक का व्यवसाय ....

पूरा आवासीय पता ....

★1. अनुसूचित वस्तुओं में दिनांक .... से .... तक की कालावधि के लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृति/नवीनीकरण करने के लिए आवेदन-पत्र :

(1) समस्त अनुसूचित वस्तुएँ।

(2) किसी एक या एक से अधिक अनुसूचित वस्तु-दाल/चावल/खाद्य तेल के बीज/ खाद्य तेल/चीनी

टीप : समस्त अनुसूचित वस्तुओं या एक या एक से अधिक अनुसूचित वस्तुओं के लिए केवल एक ही अनुज्ञप्ति होगी और अनुसूची-एक में परिवर्तन होने पर पृथक आवेदन लिया जाएगा।

2 (क) आवेदक के कारोबार का स्थान विशिष्टियों सहित जैसे - परिसरों का क्रमांक, मोहल्ला, नगर या ग्राम, पुलिस थाना तथा जिला ....

(ख) उन स्थानों के सम्यक् एवं पूर्ण पते जहाँ अनुसूचित वस्तुओं का भण्डारण करना प्रस्तावित है :

....

3. कारोबार की प्रकृति :

(1) क्रय, विक्रय या विक्रय हेतु भण्डारण का,

(2) कमीशन अभिकर्ता का,

(3) प्रसंस्करणकर्ता का।

4. क्या आवेदक के पास मण्डी अनुज्ञप्ति है, यदि हाँ तो अनुज्ञप्ति क्रमांक/मंडी रसीद की फोटो प्रति संलग्न की जाए ....

5. आवेदन की तारीख को आवेदक के कब्जे में की प्रत्येक अनुसूचित वस्तु की मात्रा और वह स्थान जहाँ उसका भण्डारण किया गया है ....

मैं, घोषणा करता हूँ कि ऊपर विनिर्दिष्ट अनुसूचित वस्तुओं की मात्रा आज के दिन मेरे कब्जे में है और उन्हें ऊपर विनिर्दिष्ट स्थानों में रखा गया है।

★ छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-9-27/खाद्य/2008/29 द्वारा प्ररूप 'क' का पैरा (1) प्रतिस्थापित तथा छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त 2009 को पृष्ठ 468 (1) पर प्रकाशित।

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि मैंने छत्तीसगढ़ अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश, 2009 के प्ररूप ''ख'' में दी गई अनुज्ञप्ति की शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और मैं उनका पालन करूँगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैंने ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए इस जिले में पूर्व में आवेदन नहीं किया है।

(ख) मैंने इस जिले में ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए तारीख .... को आवेदन किया था और मुझे अनुज्ञप्ति दी गई/अनुज्ञप्ति नहीं दी गई।

(ग) मैं, एतद्द्वारा, मुझे जारी की गई अनुज्ञप्ति क्रमांक .... तारीख .... जिसकी कालावधि .... को समाप्त हो रही है, के नवीकरण के लिए आवेदन करता हूँ।

(नोट : जो लागू न हो उसे काट दीजिए।)

स्थान ....

....

तारीख ....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप ''ख''

(खण्ड 4 (1) देखिए)

छत्तीसगढ़ अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश, 2009

व्यापारी को अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति क्रमांक ....

छत्तीसगढ़ अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश, 2009 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए श्री/श्रीमती/मेसर्स .... के अनुसूचित वस्तुओं के व्यवहार करने के लिए एतद्द्वारा अधिकृत की जाती है :

1. समस्त अनुसूचित वस्तुएँ।

★2. एक या एक से अधिक अनुसूचित वस्तु - दाल/चावल/खाद्य तेल के बीज/खाद्य तेल/चीनी

टीप : समस्त अनुसूचित वस्तुओं के लिए एक ही संयुक्त विज्ञप्ति होगी और अनुसूची-एक में अनुसूचित वस्तुओं में परिवर्तन होने पर यह समझा जाएगा कि उनमें ऐसे परिवर्तन उनकी अधिसूचना की तारीख से वह स्वयंमेव परिवर्तित हो गई है।

★ छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-9-27/खाद्य/2008/29 द्वारा प्ररूप 'ख' का पैरा - 2 प्रतिस्थापित तथा छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त 2009 को पृष्ठ 468 (1) पर प्रकाशित।

1. (क) अनुज्ञप्तिधारी को निम्नलिखित प्रकार के कारोबार करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी :

   1. क्रय, विक्रय या विक्रय हेतु भण्डारण के लिए,
   2. कमीशन अभिकर्ता के लिए,
   3. प्रसंस्करणकर्ता के लिए।

   (कृपया जो लागू न हो उसे काट दिया जाए।)

2. (क) अनुज्ञप्तिधारी अपना कारबार निम्नलिखित स्थान/स्थानों के अलावा अन्यत्र नहीं करेगा।

कारोबार का प्रकार	कारोबार का स्थान
1. क्रय, विक्रय या विक्रय के लिए भण्डारण।	....
2. कमीशन अभिकर्ता।	....
3. प्रसंस्करणकर्ता।	....

(ख) अनुज्ञप्तिधारी अनुसूचित वस्तुओं का भण्डारण निम्नलिखित स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर नहीं करेगा :

गोदाम/स्थान :

मोहल्ला	घर क्रमांक	सीमाएँ	अपने स्वामित्व का/ किराए का	टिप्पणियाँ

3. अनुज्ञप्तिधारी इस निमित्त राज्य सरकार या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से छूट दिए जाने के सिवाय पैरा-1 में उल्लेखित प्रत्येक अनुसूचित वस्तु के लिए दैनिक लेखों का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें निम्नलिखित को सही-सही दर्शाया जावेगा :

   (क) प्रत्येक दिन का प्रारंभिक स्टॉक,

   (ख) प्रत्येक दिन प्राप्त की गई मात्रा को यह दर्शाते हुए कि किस स्थान से तथा किस स्त्रोत से प्राप्त की गई,

   (ग) गंतव्य स्थान को दर्शाते हुए प्रत्येक दिन परिदान की गई अन्यथा हटाई गई मात्रा,

   (घ) प्रत्येक दिन का अंतिम स्टॉक।

4. अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक दिन से संबंधित अपने लेखा को उसी दिन पूरा करेगा जब तक कि युक्तियुक्त कारण से, जिसके साबित करने का भार उसी पर होगा, उसे ऐसा करने से निवारित न किया गया हो।

5. अनुज्ञप्तिधारी दैनिक लेखे में अपनी व्यक्तिगत खेतों की उपज के स्टॉक को पृथक रूप से प्रदर्शित करेगा। यदि ऐसे उपज को उनके कारबार के परिसर में भण्डारित किया गया है।

6. अनुज्ञप्तिधारी राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा विशेष छूट दिए जाने के सिवाय संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी को या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्येक माह प्ररूप ''ग'' में प्रत्येक अनुसूचित वस्तु के स्टॉक उसकी प्राप्तियों और परिदानों इत्यादि का सही विवरणी प्रस्तुत करेगा, ताकि वह उसके पास मास की समाप्ति के पश्चात् 7 दिन के भीतर पहुँच जाएं।

7. अनुज्ञप्तिधारी छत्तीसगढ़ अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन और जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश, 2009 या आदश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) या उसके अधीन बनाए गए नियमों या अनुसूचित नियमों या अनुसूचित वस्तुओं से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा।

8. अनुज्ञप्तिधारी

(एक) ऐसा कोई संव्यवहार जिसमें मंडी में अनुसूचित वस्तुओं के सट्टे वाली रीति में और उनकी सुगमता उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली राशि★ में अनुसूचित वस्तुओं के क्रय, विक्रय या विक्रय के लिए भण्डारण करना अंतर्वलित हो, नहीं करेगा।

(दो) साधारण विक्रय के लिए रखी गई वस्तुओं को विक्रय से नहीं रोकेगा।

9. अनुज्ञप्तिधारी अपने कारबार के परिसर के प्रवेश द्वार या किसी अन्य प्रमुख स्थान पर विक्रय के लिए अपने द्वारा रखी गई अनुसूचित वस्तुओं के मूल्य सूची प्रदर्शित करेगा, ऐसी मूल्य सूची हिन्दी में सुपाठ्य रूप से लिखी होगी, प्रत्येक दिन का विभिन्न किस्म की अनुसूचित वस्तुओं का मूल्य और प्रारंभिक स्टॉक को पृथक रूप से उपदर्शित करेगा।

10. प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय करेगा और उसके द्वारा भंडारित की गई अनुसूचित वस्तुएँ समुचित दशा में रखी गई है, और उन्हें जमीन की सीलन, वर्षा, कीटों, कुतरने वाले जानवरों, पक्षियों, आग और ऐसे कारणों से क्षति न हो, जमीन की सीलन से क्षति को रोकने के लिए उपयुक्त जल निकास (ड्रेनेज) का प्रयोग किया जावेगा और अनुसूचित वस्तुओं को इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित रासायन से धुंआ (फ्युमीगेटेड) दिया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि उर्वरकों, कीटनाशी दवाओं और विषाक्त रसायनों को जिनसे अनुसूचित वस्तुओं को संदर्भित होने की संभावना हो, अनुसूचित वस्तुओं के साथ उसी गोदाम में या उसके अत्यन्त निकट भण्डारित नहीं किया जावेगा।

11. अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक ग्राहक को एक ही रसीद या बीजक देगा। जिसमें उसका स्वयं नाम, पता और अनुज्ञप्ति क्रमांक, ग्राहक का नाम और अनुज्ञप्ति क्रमांक (यदि कोई हो) संव्यवहार की तारीख, बेची गई मात्रा, प्रति क्विंटल मूल्य और ली गई कुल धनराशि का उल्लेख होगा और उसकी दूसरी प्रति अनुज्ञापन प्राधिकारी को इस निमित्त उसके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध

★ राशि की बजाय रीति शब्द उपयुक्त होता - सम्पादक

कराने हेतु अपने पास रखेगा। विक्रय किए गए स्टॉक का परिवहन करने वाले वाहन के साथ बिल प्रति रखी जाएगी तथा जाँच के दौरान तत्काल जाँच अधिकारी को वाहन चालक अथवा वाहन में उपस्थित विक्रेता/क्रेता के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

12. अनुज्ञप्तिधारी, कारबार से संबंधित ऐसी सही-सही सूचना प्रस्तुत करेगा जैसी उससे मांगी जाए, और वह इस आदेश के उपबंधों से संगत ऐस अनुदेशों का पालन करेगा जो अनुज्ञापन प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

13. अनुज्ञप्तिधारी, अनुसूचित वस्तुओं के भण्डारण विक्रय या क्रय या विनिर्माण के लिए अपने द्वारा प्रयुक्त किसी दुकान, गोदाम या अन्य स्थान पर अपने स्टॉक और लेखा का निरीक्षण करने के लिए और परीक्षणों के लिए अनुसूचित वस्तुओं का नमूना लेने के लिए प्रवर्तन प्राधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किसी प्राधिकारी या राज्य सरकार को युक्तियुक्त समय पर सभी सुविधा प्रदान करेगा।

14. अनुज्ञप्तिधारी, अनुसूचित वस्तुओं के क्रय, विक्रय तथा विक्रय के लिए किए गए भण्डारण के बारे में तथा उस भाषा के संबंध में जिसमें रजिस्टर, विवरणियाँ रसीदें या बीजक लिखे जाएंगे तथा रजिस्टरों के अभिप्रमाणन तथा बनाए रखे जाने के बारे में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उसे दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करेगा।

15. अनुज्ञप्ति ऐसी किसी दशा में, जब वह किसी विनियमित मण्डी में कार्य करता है, अपने कारबार करने के संबंध में ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करेगा जो अधिकारिता रखने वाले मण्डी प्राधिकारी द्वारा उसे दिए गए हैं।

16. अनुज्ञप्तिधारी अपने स्वयं के गोदाम या कारबार के परिसर को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।

17. जब कभी अनुज्ञप्तिधारी के फर्म के स्वामित्व, भागीदारी या गठन में कोई परिवर्तन हो, वह अनुज्ञापन प्राधिकारी को परिवर्तन के 30 दिवस के भीतर एक लिखित सूचना देगा। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी आवश्यक समझी जाए, अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिए अनुज्ञप्ति में आवश्यक संशोधन करना विधिपूर्ण होगा।

18. नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र के साथ अनुज्ञप्ति संलग्न की जावेगी।

19. वह अनुज्ञप्ति वर्ष .... में 31 दिसम्बर तक विधिमान्य होगी।

तारीख ....

स्थान .... अनुज्ञप्ति प्राधिकारी

●●●